

वन भूमि की मांग का औचित्य

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

परियोजना का नाम जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र धराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल, कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं० 4520/111 (2)/15-08 (मु०म०घो०)/ 2015 दिनांक 19/06/2015 द्वारा 9.00 किमी० लम्बाई में प्राप्त हुई है। जिसके परिपेक्ष में प्रस्तुत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग ग्वालदम-नदकेशरी मोटर मार्ग के किमी० 8 से से प्रारम्भ होगा तथा देवसारी प्राथमिक विद्यालय पर समाप्त होगा।

यह मार्ग ग्राम देवसारी को यातायात से जोड़ने के साथ-साथ अन्य सुदूरवर्ती ग्रामों को भी लाभान्वित करेगा। मार्ग का सर्वेक्षण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ते हुए किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये यातायात का होना अति आवश्यक है। यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र यातायात से वंचित होने के कारण काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यहां के लोगों का अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिये काफी दूर पैदल चलना पड़ता है तथा सामान को अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है जिससे समय अनावश्यक नष्ट हो जाता है। यदि यातायात की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है तो, खेती में फसल की अच्छी कीमत मिलने की संभावना होगी। क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी० 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 में स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी०पी०एस० मान 30 01' 46.73" उ०, 79 35' 11.98" पू० / 30 01' 40.86" उ०, 79 36' 0.66" पू० / 30 01' 54.78" उ०, 79 35' 48.36" पू० / 30 02' 6.52" उ०, 79 35' 49.70" पू० / 30 01' 14.98" उ०, 79 35' 21.58" पू० / 30 01' 14.98" उ०, 79 35' 40.54" पू० हैं।

प्रस्तुत मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षों की गणना 7 मी० में कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गई है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र की अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा। उपरोक्त मार्ग में कुल 5.964 हे० वन भूमि पड़ती है, जिस हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

उक्त लाभान्वित ग्रामों हेतु पूर्व में कोई भी सड़क संयोजकता उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों एवं विभाग द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात उक्त एकमात्र समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है, जिसमें 4.895 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

धराली (चमोली)

धराली (चमोली)

प्रमुखीय वन अधिकारी
बर्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(धनो०)

वन सहायक अधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, धराली
बर्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर